

क्रमांक ए.32012/3/2021-CHS-IV (एफटीएस-8117563)

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीएचएस प्रभाग)

\*\*\*

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011  
दिनांक 13 जुलाई 2023

### कार्यालय ज्ञापन


**विषय:-** पैनल वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध एचएजी स्तर पर पदोन्नति के लिए अंतिम संयुक्त पात्रता सूची-संबंधित

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में पैनल वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त डीजीएचएस/एचएजी के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। तदनुसार, सीएचएस नियम, 2014 के नियम 6 (3) (ii) और (iii) और सीएचएस (संशोधन) नियम, 2019 को आवश्यक सुधार/आपत्तियों, यदि कोई हो, के लिए उक्त सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए सभी संबंधितों की जानकारी के लिए प्रसारित किया गया था।

2. अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.05.2023 थी। इस प्रकार प्राप्त अभ्यावेदनों की मंत्रालय में मौजूदा सीएचएस नियमों के अनुसार जांच की गई है।

3. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर जहां भी संभव हो आवश्यक सुधार करने के बाद अंतिम संयुक्त पात्रता सूची प्रसारित की जा रही है।

4. उपरोक्त सूची विशेष रूप से केवल एचएजी पदोन्नति के लिए एसएजी स्तर के अधिकारियों पर विचार करने के उद्देश्य से है और इसे सीएचएस नियम, 2014 के नियम 6 (3) (ii) और (iii) (ए) (बी) और (सी) के अनुसार तैयार किया गया है।

  
(दिलीप कुमार साह)  
भारत सरकार के अवर सचिव  
दूरभाष: 011-23062666

संलग्नक: 'ऊपरोक्त अनुसार'

को

संबंधित अधिकारियों सहित सभी भाग लेने वाली इकाइयाँ

प्रतिलिपि:

एनआईसी (सभी की जानकारी के लिए उक्त ज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)